

रेफरेंस/एल.आर./6126/2005/नागौर
सरकार बनाम पोकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p align="center">एकलपीठ श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य</p> <p>उपस्थित:-</p> <p>1-श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। 2-अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये, एकपक्षीय कार्यवाही।</p> <p align="center">निर्णय दिनांक : 15.4.2021</p> <p>यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र संख्या 42/2005 में पारित निर्णय दिनांक 24-08-2005 द्वारा अभिशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।</p> <p>2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, नांवा की ओर से एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा काटिया के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 के अनुसार खसरा नं० 188 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा किस्म आराजी गै०मु० नदी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज थी। उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं० 188 रकबा 27-11 बीघा का आवंटन अप्रार्थीगण को करने के कारण नामान्तरकरण सं० 9 के जरिये अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज किया तथा नामान्तरकरण सं० 47 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया जबकि गै०मु० नदी की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत वर्णित ऐसी भूमियां हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः विधि विरुद्ध खातेदारी दर्ज होने से उसे निरस्त की जाकर प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय भूमि दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय अधिवक्ता पैरोकार सरकार/प्रार्थी की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24-08-2005 को यह रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>3- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा काटिया के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 के अनुसार खसरा नं० 188 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा किस्म आराजी गै०मु० नदी सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज थी। उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं० 188 रकबा 27-11 बीघा का आवंटन अप्रार्थीगण को करने के कारण नामान्तरकरण सं० 9 के जरिये अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज किया तथा नामान्तरकरण सं० 47 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया जबकि गै०मु० नदी की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत वर्णित ऐसी भूमियां हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः विधि विरुद्ध खातेदारी दर्ज होने से उसे निरस्त की जाकर प्रश्नगत आराजी को पुनः राजकीय भूमि दर्ज किया जावे। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को पुनः राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा स्वीकृत नामान्तरकरणों को निरस्त किये जावे।</p> <p>4- मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।</p>	

रेफरेंस/एल.आर./6126/2005/नागौर
सरकार बनाम पोकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>5- प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम कांटिया नामान्तरकरण सं० 9 अनुसार खसरा नं० 188 रकबा 27-11 बीघा किस्म गै०मु० नदी आवंटन होने से अप्रार्थीगण पोकर, कालू, किशना एवं मांगू के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई तथा नामान्तरकरण सं० 47 द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई है जबकि इससे पूर्व यह आराजी राजकीय सिवायचक भूमि रही है। गै०मु० नदी की भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी में की गई भूमि की किस्म गै०मु० नदी है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>6- फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। आराजी ख० नं० 188 रकबा 27-11 बीघा वाके ग्राम कांटिया, तहसील नाँवा की अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी निरस्त कर उक्त की पालना में भरे गये नामान्तरकरण सं० 9 व 47 निरस्त कर प्रश्नगत भूमि को पूर्वानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>7- आदेश की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।</p> <p>8- पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य</p>	